18/3/26

उभय पक्ष उप. प्रा.पत्र प्रार्थी पेश
किया जाता है। विस्तृत डिक्री मिसल से
शामिल किया गया। नंबर से अदा
डिक्री सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2022/157

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.03.25 17:11:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 241/2022 GCMS:-2022/157

–: अनवान :–

रानी पुत्री मदद अली पुत्र शाहरा जाति मुसलमान निवसी चक 15 एम.एल. पंचायत चक 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

... प्रार्थी

बनाम

1. मदद अली पुत्र शाहरा जाति मुसलमान निवासी चक 15 एम.एल. पंचायत चक 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 18/03/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी न. 1 मदद अली के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 1 डी.बी.एन. ए की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 पटवार हल्का गुरूसर मोडिया भू.अभि.नि. क्षेत्र भगवानगढ़ के खाता संख्या 58/65 के पत्थर नम्बर 34/271 मु.न. 51 के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11/1 कुल किता 17 में 2.5320 हैक्टेयर नहरी खातेदारी व 0.1750 हैक्टेयर खाला दर्ज होकर प्रार्थीया व अप्रार्थी न. 1 के अपने अपने हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। अप्रार्थी न. 1 की प्रथम शादी प्रार्थीया की माता बलायत के साथ हुई थी उस शादी के बाद दोनो के नुत्फ से प्रार्थीया का जन्म हुआ व कुछ अर्सा बाद ही प्रार्थीया की माता जो अप्रार्थी न. 1 की पत्नी थी उसका स्वर्गवास हो गया। प्रार्थीया की माता के स्वर्गवास हो जाने के बाद में अप्रार्थी न. 1 ने दूसरी शादी सायरा रानी से की जो अभी जीवित हैं व सायरा व अप्रार्थी न. 1 के नुत्फ से 2 पुत्र व 5 पुत्रीयां पैदा हुई जिनके नाम क्रमशः अल्लादित्ता, मुकद्दर पुत्रगण [illegible] खाना, रूकसाना, फतीया पुत्रीयां हैं। जैरप्रकरण भूमि पैतृक हैं जो अप्रार्थी न. 1 मदद अली को अपने पिता शाहरा के स्वर्गवास होने के बाद [illegible] पैतृक भूमि की परिभाषा में आती हैं जिसमें प्रार्थीया का जन्म [illegible] संभाग में राजशाही के समय से ही मुसलमान जाति के काश्तकार [illegible] के बाद उसके नाम की दर्ज भूमि का विरासतन इन्तकाल हिन्दू विधि के अनुसार होने की रिवाज प्रचलित हैं व मुसलमान जाति के कृषक हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार ही पुत्र न होने पर दूसरे लड़के को खोला लेना, दस्तबरदारी करना, भूमि का दान पत्र लिखना व विरासत के इन्तकाल में भी पुत्रों

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.25 17:11:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या–241 / 2022)

व पुत्रीयों व पत्नी सब को बराबर का हिस्सेदार मानकर ही विरासतन इन्तकाल दर्ज किये जाते हैं। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि 2.5320 हैक्टेयर नहरी व 0. 1750 हैक्टेयर खाला कुल 2.7070 हैक्टेयर अप्रार्थी न. 1 मदद अली को अपने पिता के मरने के बाद विरासतन प्राप्त हुई है। इसलिए इस भूमि में अप्रार्थी न. 1 की दोनो पत्नीयों से उत्पन्न दो पुत्र व छः पुत्रीयां व एक स्वंय अप्रार्थी न. 1 कुल 9 वारिस होने से जैरप्रकरण भूमि 2.87070 हैक्टेयर मय खाला में प्रत्येक का 1/9, 1/9 हिस्सा कानूनी रूप से बनता हैं व अपने हिस्सा की घोषणा करवाने के लिए वाद पत्र तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अप्रार्थी न. 1 ने पिछले काफी वर्षो से प्रार्थीया को अपने 1/9 हिस्सा में आने वाली 0.3008 हैक्टेयर भूमि को काश्त करने के लिए किला नम्बर 1 व 2 में दे रखी हैं जिसको प्रार्थीया कभी स्वंय काश्त करते हैं व कभी कभी हिस्सा ठेका या मजदूरी पर काश्त करवाती हैं। अपने पिता से प्राप्त इस भूमि को काश्त करवा कर अपना स्वंय व परिवार का भरण पोषण करती हैं, प्रार्थीया के अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं हैं, एक मात्र यह कृषि भूमि हैं। प्रार्थीया का पिता पहले बहुत स्नेह व प्यार करता था व अपने जीवनयापन के लिए अपने नाम की जैरप्रकरण भूमि में से भूमि भी काश्त करने के लिए दे रखी हैं परन्तु वाद प्रस्तुत करने से 10 दिन पूर्व दिनांक 27.07.2022 को अप्रार्थी न. 1 प्रार्थीया के घर आया व कहा कि वह इस वर्ष की फसल उठाकर हाड़ी वर्ष 2022–2023 में काश्त मत करना चूंकि वह इस भूमि को बेचकर अपनी दूसरी पत्नी से पैदा हुए दोनो पुत्रों के नाम से इन रूपयो से और भूमि खरीद कर देगा वो उन्हें बार बार तंग करते हैं कि अगर भूमि बेची नही तो उनकी मासी की पुत्री(प्रार्थीया) हिस्सा ले लेगी। प्रार्थीया अपने समाज के गणमान्य लोगो को साथ लेकर दिनांक 05.08.2022 को अप्रार्थी न. 1 अपने पिता के घर चक 15 एम.एल. गई वहां पर प्रार्थीया के बाद उस पत्नी से पैदा हुए बच्चे थे वो भी मौजूद थे। वहां प्रार्थीया के साथ गये लोगो ने अप्रार्थी न. 1 को समझाया कि रानी(प्रार्थीया) उसकी प्रथम ब्याता पत्नी की पुत्री हैं आपने इसे बड़े लाड़ प्यार से पाला पोषा हैं आपके पास जो भूमि (जैरप्रकरण) हैं वह पिता से आयी हुई हैं उसमें तेरी पुत्री रानी का भी हक व हिस्सा बनता हैं व आपने उसे उसका हिस्सा काश्त करने के लिए भी दे रखा हैं तो सरकारी कांगजो में इसके नाम करवा दो तो अप्रार्थी न. 1 ने कहा कि वो हिस्सा अपनी पुत्री को देना चाहता था परन्तु दूसरी पत्नी से पैदा हुए पुत्र हिस्सा देने पर रोज लड़ाई झगड़ा व फसाद करते हैं इसलिए वह अब अपनी पुत्री को कोई भूमि नहीं देगा व यह सावणी की फसल पकते ही प्रार्थीया से अपनी भूमि का कब्जा छुड़ाकर भूमि को बेचकर अपने दो पुत्रो के नाम से भूमि चक 15 एम.एल. में ही खरीद कर देगा। प्रार्थीया द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर रखा हैं। वाद पत्र के निर्णय होने में समय लगना स्वाभाविक हैं। अप्रार्थीगण जैरप्रकरण भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हैं, अगर अप्रार्थी ने जैरप्रकरण भूमि का बेचान कर दिया, अथवा रहन बैय आदि तरीके से हस्तान्तरण तथा प्रार्थीया से कब्जा छुड़ा लिया तो प्रार्थी [illegible] इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जैरप्रकरण रकबा को रहन बैय आदि [illegible]रण नहीं करे तथा प्रार्थीया के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी [illegible] यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये [illegible] नहीं आये।

प्रार्थीया के विद्वान [illegible] सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में दर्ज बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी जाति से मुसलमान हैं परन्तु बीकानेर संभाग में मुसलमानों हिन्दु रिती रिवाज ही प्रचलित हैं तथा भूमि के विरासतन इन्तकाल भी हिन्दू रिती रिवाज के अनुसार ही होते हैं। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला बनता हैं तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया को होगी। अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.25 17:11:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या–241/2022)

बावजूद तामील हाजिर नहीं आये हैं। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। प्रार्थीया के अभिभाषक द्वारा अपने कथनो के समर्थन में कानूनी नजीरे आरबीजे 2009 पेज 78, आरआरटी 2009(1) पेज 141, आरआरटी 2017(1) पेज 491, आरआरटी 2005(2) पेज 812 प्रस्तुत की गई।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों व संबंधित कानून का सम्मानपूर्वक अध्ययन व मनन किया। जमाबन्दी चित्रप्रति अनुसार जैरप्रकरण भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज हैं। भूमि पैतृक हैं अथवा नहीं, प्रार्थीया का हक व हिस्सा बनता हैं अथवा नहीं यह तथ्य तो मूलवाद पत्र में तय होगा परन्तु मूल वाद के निर्णय से पूर्व अगर भूमि का बेचान हो गया अथवा कब्जा परिवर्तन हो गया तो प्रार्थीया को नुकसान हो सकता हैं, अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती हैं। इसलिए न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया का स्वीकार किया जाता हैं तथा इस अदालत द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17.08.2022 को स्थायी किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि वे मूल वाद पत्र के निर्णय तक जैरप्रकरण अप्रार्थी न. 1 मदद अली के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 1 डी.बी.एन. (ए) की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 पटवार हल्का गुरूसर मोडिया भू. अभि. नि. क्षेत्र भगवानगढ़ के खाता संख्या 58/65 के पत्थर नम्बर. 34/271मु.न. 51 के किला नम्बर 1/1 में 0.2280 हैक्टेयर, 1/2 में 0.0250खाला, 2/1 में 0.2280 नहरी, 2/2 में 0.0250 खाला, 3/1 में 0.2280 नहरी, 3/2 में 0.0250 खाला, 4/1 में 0.2280 नहरी, 4/2 में 0.0250 खाला, 5/1 में 0.2030 नहरी, 5/2 में 0.0500 खाला, 6/1 में 0.2280 नहरी, 6/2 में 0.0250 खाला, 7 में 0.2530 नहरी, 8 में 0.2530 नहरी, 9 में 0.2530 नहरी, 10 में 0.2530 नहरी, 11/1 में 0.1770 नहरी कुल किता 17 में 2.5320 हैक्टेयर नहरी खातेदारी व 0.1750 हैक्टेयर खाला खातेदारी भूमि को रहन बेचान आदि द्वारा हस्तान्तरण नहीं करें व रिकार्ड तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2026 .को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जय प्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.25 17:11:08 IST
Reason: SelfAttested